



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-2706/JH/4/2024-ESDW

दिनांक: 21.08.2024

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त, रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक-बी,
कमरा नंबर-504,
रांची-834001, झारखण्ड
ई-मेल: dc-ran@nic.in
फोन नं. 0651-2214001

विषय: गरीब आदिवासी की रैयती भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने और उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में श्री बादल उरांव, पिता-स्व. डोम्बा उरांव, ग्राम-न्यू गार्डन सीरमटोली, पोस्ट-चुटिया, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 19.02.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 20.03.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 27.08.2024 को 05:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2706/JH/4/2024-ESDW

दिनांक: 21.08.2024

सेवा में,

श्री बादल उरांव,
पिता-स्व. डोम्बा उरांव,
ग्राम-न्यू गार्डन सीरमतोली,
पोस्ट-चुटिया, जिला-रांची,
झारखंड
फोन नं. 9304863774

विषय: गरीब आदिवासी की रैयती भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने और उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में श्री बादल उरांव, पिता-स्व. डोम्बा उरांव, ग्राम-न्यू गार्डन सीरमतोली, पोस्ट-चुटिया, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 19.02.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 27.08.2024 को 05:00 बजे बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।